ICAR
भा.कृ.अनु.प.—भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान
निकट पहुज बाँध, ग्वालियर रोड, झाँसी (उ.प्र.) — 284003 भारत
Phone : 0510-2730666 Fax : 0510-2730833
भा.च.चा.अ.सं.
IGFRI

F.No. 3-5/STR Phy/13-14

दिनाँक : 10.10.2024

नीलामी सूचना

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि भारतीय चरागाह एंव चारा अनुसंधान संस्थान झाँसी के प्रक्षेत्र कार्यालय पर **दिनाँक 25.10.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अमरूद,ऑवला एवं बेल** के फलों की नीलामी की जायेगी। इच्छुक फर्म/व्यक्ति उपरोक्त तिथि एवं समय पर नीलामी में उपस्थित हो कर नीलामी में भाग ले सकते है।

नीलामी सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी संस्थान की वेवसाइट https://igfri.icar.gov.in पर उपलब्ध है।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
एवं कार्यालयाध्यक्ष

भा.कृ.अनु.प.–भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान,झाँसी

F.No. 3-5/STR Phy/13-14

दिनाँक : 10.10.2024

नीलामी सूचना

भा.कृ.अनु.प.–भारतीय चरागाह एंव चारा अनुसंधान संस्थान झाँसी के प्रक्षेत्र कार्यालय पर **दिनाँक 25.10.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे** निम्न उत्पादन की नीलामी की जायेगी, इच्छुक व्यक्ति कृपया उपरोक्त तिथि एवं समय पर नीलामी में उपस्थित होने का कष्ट करें :

1. ऑवला जनरल (पुराना वृक्षारोपण) 80 वृक्षों के फल
2. ऑवला परीक्षण संख्या 20180304–1 के 125 वृक्षों के फल
3. अमरूद परीक्षण संख्या 20180304–2 के 200 वृक्षों के फल
4. बेल जनरल 130 वृक्षों के फल

नीलामी की शर्ते

1. अमरूद के 30 वृक्ष टैग किये गये है, इसमें से परीक्षण कार्य हेतु 10 फल प्रति पेड़, ऑवला के 10 वृक्ष टैग किये गये है, इसमें से परीक्षण कार्य हेतु 20 फल प्रति पेड तथा बेल के 18 वृक्ष टैग किये गये है, इसमें से परीक्षण कार्य हेतु 2 फल प्रति पेड संस्थान द्वारा लिए जायेंगे।
2. प्रत्येक बोली बोलने वाले को रूपये **13500=00** की सुरक्षित धनराशि जमा करनी होगी। असफल बोलीदाता की सुरक्षित धनराशि वापिस कर दी जायेगी।
3. सफल बोलीदाता को नीलामी की पूर्ण धनराशि संस्थान की वैबसाइट पर Gateway/Debit card एवं D.D. के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, करारी शाखा (कोड–7477) आई.सी.ए.आर. यूनिट आई.जी.एफ.आर.आई., झॉसी के नाम से देय होगा जो कि उसी दिन या अधिकतम तीन दिवस के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा उनकी नीलामी स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. बोलीदाता का दस्तावेज के रूप में **आधारकार्ड** ही स्वीकार किया जायेगा।
5. नीलामी के बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी क्रय कर्ता की होगी।
6. तीन से कम बोली आने पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।
7. फलों की तुड़ाई का कार्य सम्बन्धित फील्ड सुपरवाईजर अथवा फील्ड इंचार्ज की उपस्थिति में एवं निर्देशानुसार ही करना होगा।
8. उपरोक्त सूचना संस्थान के वेवसाईट https://igfri.icar.gov.in की Tender साईट पर देखें।
9. गेट पास प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा जारी किया जायेगा तभी सामान बाहर जा सकेगा।
10. संस्थान के निदेशक महोदय को बिना कोई कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी ए.के.एम.यू.– कृप्या संस्थान की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।